भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
(एफसी-I अनुभाग)

प्रेस नोट सं. 1 (2012 श्रृंखला)

विषय: **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा - सिंगल ब्रांड खुदरा व्यापार में नीति का उदारीकरण करना।**

1.0 **वर्तमान स्थिति:**

सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार को छोड़कर, जिसमें 'वर्ष 2011 का परिपत्र 2 - समेकित एफडीआई नीति' के पैरा 6.2.16.4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन 51% तक एफडीआई की अनुमति है, खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की मनाही है।

2.0 **संशोधित स्थिति:**

भारत सरकार ने एफडीआई की वर्तमान नीति की समीक्षा की और निर्णय लिया कि सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत 100% तक एफडीआई की अनुमति दी जाएगी, जो नीचे पैरा 3.0 में दर्शाई गई विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।

3.0 तदनुसार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 30.09.2011 के 'वर्ष 2011 का परिपत्र 2 - समेकित एफडीआई नीति' में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

3.1 पैरा 6.2.16.4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया:

6.2.16.4	**सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार**	**100%**	**सरकारी मार्ग से**
	(1) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य उत्पादन और विपणन में निवेशों को आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाना, भारत से अधिक माल मंगवाने को प्रोत्साहित करना तथा वैश्विक डिज़ाइनों, प्रौद्योगिकियों तथा प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। (2) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में एफडीआई निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा: (क) बेचे जाने वाले उत्पाद केवल 'सिंगल ब्रांड' के होने चाहिए। (ख) उत्पादों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही ब्रांड के तहत बेचा जाना चाहिए अर्थात् भारत के अलावा एक अथवा अधिक देशों में उत्पाद को एक ही ब्रांड के अन्तर्गत बेचा जाना चाहिए। (ग) 'सिंगल ब्रांड' उत्पाद खुदरा व्यापार में केवल वे ही उत्पाद शामिल होंगे जिन्हें विनिर्माण के दौरान ब्रांडिड किया जाएगा। (घ) विदेशी निवेशक ब्रांड का स्वामी होना चाहिए।		

	(ङ) 51 प्रतिशत से अधिक एफडीआई वाले प्रस्तावों के संबंध में, बेचे गए उत्पादों के मूल्य की न्यूनतम 30 प्रतिशत खरीद अनिवार्य रूप से भारतीय लघु उद्योगों/ग्राम और कुटीर उद्योगों, शिल्पकारों और दस्तकारों से करनी होगी। 'लघु उद्योगों' की परिभाषा होगी कि ऐसे उद्योग जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमेरीकी डॉलर से अधिक नहीं है। इस मूल्यांकन का तात्पर्य अवमूल्यन के संबंध में प्रावधान के बिना स्थापना के समय के मूल्य से है। इसके अलावा, यदि किसी भी समय, यह मूल्यांकन बढ़ता है तो उद्योग इस प्रयोजन के लिए 'लघु उद्योग' के रूप में पात्र नहीं होगा। इस शर्त का अनुपालन कम्पनी द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा, जिन्हें बाद में विधिवत प्रमाणित लेखाओं, जिनका रख-रखाव कंपनी द्वारा किया जाना अपेक्षित है, से वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांचा जाएगा। (3) 'सिंगल ब्रांड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में एफडीआई हेतु सरकार की अनुमति मांगने के लिए आवेदन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए) को दिए जाएंगे। आवेदन में उन उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों को विशिष्ट तौर पर बताया जाएगा जिन्हें 'सिंगल ब्रांड' के तहत बेचे जाने का प्रस्ताव है। 'सिंगल ब्रांड' के तहत बिक्री हेतु प्रस्तावित किसी भी उत्पाद/उत्पाद श्रेणी में किसी भी वृद्धि के लिए सरकार से नया अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी। (4) आवेदनों पर एफआईपीबी द्वारा सरकारी अनुमोदन हेतु विचार किए जाने से पहले यह तय करने के लिए औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में कार्रवाई की जाएगी कि क्या बिक्री के लिए प्रस्तावित उत्पाद अधिसूचित दिशा-निर्देशों को पूरा करते हैं।

4.0 उपर्युक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

5.0 उपर्युक्त प्रावधान समेकित एफडीआई नीति पर 31.3.2012 को जारी होने वाले आगामी परिपत्र में शामिल किए जाएंगे।

(अंजली प्रसाद)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग फाइल सं. सं.5/12/2010-एफसी-I। दिनांक: 10 जनवरी, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. **प्रेस सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो** - उपर्युक्त प्रेस नोट के व्यापक प्रचार हेतु।
2. **बीई अनुभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग** - प्रेस नोट को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
(एफसी-I अनुभाग)

प्रेस नोट सं. 3 (2011 श्रृंखला)

विषय: **फार्मा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की नीति की समीक्षा - '2011 का परिपत्र 2 - समेकित एफडीआई नीति' में नया पैरा 6.2.25 शामिल करना।**

1.0 वर्तमान स्थिति:

फार्मा क्षेत्र में, स्वत: मार्ग के तहत 100% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है।

2.0 संशोधित स्थिति:

भारत सरकार ने वर्तमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की समीक्षा की तथा निम्नानुसार निर्णय लिया:

(i) फार्मा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड निवेशों के लिए स्वत: मार्ग के अंतर्गत 100% तक एफडीआई की अनुमति जारी रखी गई है।

(ii) फार्मा क्षेत्र में ब्राउनफील्ड निवेशों (अर्थात्-मौजूदा कंपनियों में निवेश) के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% तक एफडीआई की अनुमति दी जाएगी।

3.0 तदनुसार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 30.09.2011 को जारी '2011 का परिपत्र 2 - समेकित एफडीआई नीति' में निम्नलिखित संशोधन किए गए:

नया पैरा 6.2.25 शामिल करना

नया पैरा (6.2.25) निम्नानुसार शामिल किया गया है:

6.2.25	**फार्मा**		
6.2.25.1	ग्रीनफील्ड	100%	स्वत: मार्ग से
6.2.25.2	मौजूदा कंपनियां	100%	सरकारी मार्ग से

4.0 उपर्युक्त निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसकी छह महीने बाद समीक्षा की जाएगी।

(अंजली प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग फाइल सं. सं.1/16/2010-एफसी-I. दिनांक: 8 नवम्बर, 2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

1. **प्रेस सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो** - उपर्युक्त प्रेस नोट के व्यापक प्रचार हेतु।
2. **बीई अनुभाग, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग** - प्रेस नोट को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।